

20/05/2025

परावली पेशुर्ग | उमथपर अष्टिवक्ता उपनिषत्

उपनिषत् विरुद्ध अष्टिवक्तागक से मुता गथ।

परावली का अवलोकन विषय गथ। मूल वाद

विभाजन क म्हाई निषेधात् न हो। ~~प्रकरण 026 R 9~~

CPC उपनिषत् अष्टिवक्तागक - प्राथमिक

डिडी बालि विषे जाने में बनापलि की। अतः

प्रकरण 026 R 9 CPC खारिज किया जाना है।

मूल वाद में प्राथमिक डिडी बालि की गयी

है। मूल वाद विभाजन क म्हाई निषेधात् न हो

होने से उमथपर से दि. 23/10/2024 के अमुमा

सहखानेशर से रिपोर्ट से पारद किया जाना

उचित नहीं समझने है। अतः म्हा वाद अष्टिवक्ता

के रिपोर्ट की हद तक स्थान आदेश से खारिज

किया जाना है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में 'वाद विभाजन' का

होने से वाद बुझाना की संभावना से अथवा

उमथपर से किये गए अष्टिवक्ता

से नकारना वाद पारद किया जाना है कि

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

रायहवा बनाम रिहपाल

29/2024  
2025

दि 7

क्र.सं.	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>वाइ अछीन भूमि के खेती के स्थिति यथावत बनाये रखे। आइए मनाया गया। पत्रावली के फल हुआ है कि उक्त जखर से इमती।</p> <p style="text-align: center;">Bw उप खण्ड अधिकारी आमेर जयपुर</p>	